

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

28 फरवरी 1989

विभिन्न राज्य सेवाओं।संवगों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन एवं तत्संबंधी कार्यों में अत्यधिक बढ़ि के चलते बढ़ते कार्यभार तथा अन्य कार्यकालापों के भार को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिकों की नियुक्ति।प्रोत्तरात् के मामलों में त्वरित नियंत्रण लेने के उद्देश्य से राज्य सेवाओं।संवगों के कई स्तरों के पदों पर प्रोत्तरति के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 1174 दिनांक 24 जनवरी 1989 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के जिन पदों पर नियुक्ति।प्रोत्तरति के मामले बिहार लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है, उन पदों पर नियुक्ति।प्रोत्तरति के नियमित चयन।अनुशंसा करने हेतु "विभागीय प्रोत्तरति समिति" का गठन तथा उनकी कार्यपाली का निरूपण आवश्यक है।

2. "विभागीय प्रोत्तरति समितियों" के गठन तथा उनकी कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में पूर्ण विचार कर राज्य सरकार ने निम्नलिखित नियंत्रण लिया है।—

(1) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम 7 में जो संशोधन किया गया है; वह सिंकं राज्य सेवाओं।संवगों के लिए लागू होगा, अर्थात् राज्य सेवाओं।संवगों के बाहर प्राप्त की जायेगी। उसी प्रकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं।संवगों के जिन पदों पर नियुक्ति।प्रोत्तरति के मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर नहीं गया है, उन पदों पर भी पहले की भाँति जहां आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी। संशोधित नियमावली बिहार न्यायिक के बारे में लागू नहीं होगा। संशोधित विनियमावली के विनियम 7(स) की एक प्रति परिशिष्ट 'क' के रूप में इसके साथ संलग्न है।

(2) विभागीय प्रोत्तरति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभागों को चार समूह में विभक्त किया गया है। प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग।अलग विभागीय प्रोत्तरति समिति।समितियों के अधीन के सेवा तथा अधिकार संवर्ग है, अतः कालक्रम में सन्तुष्ट होने के लिए विभाग के अधीन सेवा संवर्ग गठित होने तक संबंधित कार्मिकों की नियुक्ति।प्रोत्तरति के मामले में सम्बन्धित समूह के लिए गठित विभागीय प्रोत्तरति समिति राज्य सरकार को अनुशंसा देने के लिये सक्षम होगी। वर्तमान में विद्यमान राज्य सरकार की सुची परिशिष्ट 'ख' में अंकित है। भविष्य में कोई राज्य सेवा।संवर्ग गठित होने पर स्वतः परिशिष्ट 'ख' में समिलित किया गया है, समाप्त जायगा।

3. जैसाकि उपर कड़का 2(2) में उल्लेख किया गया है, सरकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार समूह में विभागों के प्रशासनाधीन राज्य सेवाओं।संवगों के पदों के नियमित विभागीय प्रोत्तरति समितियों का गठन परिशिष्ट 'ग' के अनुसार किया जाता है। विभागीय प्रोत्तरति समिति की बैठक के लिए कोरम 4(चार) सदस्यों का होगा। परन्तु निजी सहायक संवर्ग के लिए गठित विभागीय प्रोत्तरति समिति की बैठक के लिए कोरम 3(तीन) सदस्यों का होगा।

4. संबंधित विभागीय प्रोत्तरति समिति के अध्यक्ष से तिथि एवं समय लेकर समिति के सदस्यों की बैठक की सूचना देना बैठक के लिये टिप्पणी तैयार करना तथा अन्य सभी कागजात जैसे स्वच्छता प्रमाण-पत्र, घासिती आदि अद्यतन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों को देने की जिम्मेवारी संबंधित प्रशासनी विभाग की होगी। इसी प्रकार बैठक के बाद अध्यक्ष की अनुमति ले कर बैठक की कार्यवाही तैयार करना और उपर पर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना भी प्रशासनी विभाग की जिम्मेवारी होगी। विभागीय प्रोत्तरति समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वे इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन अंतर्गत भी दे सकेंगे।

5. प्रशासी विभाग की यह जिम्मेदारी रहेगी कि प्रत्येक पंचांग वर्ष में होनेवाली रिकितयों के विरुद्ध इसके पहले वर्ष के दिसम्बर तक धैर्यगीय प्रोत्साहित समिति द्वारा श्रीग्रामे वर्ष में प्रोत्साहित देने के लिये एक पैनल तैयार कराये ताकि अगले वर्ष में होनेवाली रिकिताओं के विरुद्ध समय पर प्रोत्साहित का आदेश निर्गत किया जा सके।

6. चूंकि वर्ष 1989 प्रारम्भ हो गया है, इसलिये 1989 के लिये सभी कार्यवाई 30 अप्रैल 1989 तक अवश्य ही पूरी कर ली जाय। तदनुसार वर्ष 1990 के लिये पैनल दिसम्बर, 1989 तक अवश्य ही तैयार कर ही जायेगी।

✓ 7. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से बाहर होगी।

✓ 8. इस संकल्प के निर्णय होने के फलस्वरूप पूर्व में एतदसंबंधी संकल्पानिदेश।परिपात्र आदि उस हद तक संशोधित समझे जायेंगे जिस हद तक इस संकल्प के प्रावधान के अनुसार आवश्यक हो।

✓ आदेश—आदेश दिया जाता है कि 'वैसाधारण' की जानकारी के लिये इसे 'राजकीय गंजाट' में प्रकाशित कराया जाय।

विहार-पाञ्चाल के आदेश से,
एम० एल० भजूमदार, सचिव।

XIV

कानूनिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रधिसूचना

24 जनवरी 1989

सं० ७१पी०एस०सी० ३-१०११८८-१-का०-११७४—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (३) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नियुक्ति विभाग (सम्ब्रहति कानूनिक सुधार विभाग) की प्रधिसूचना संख्या एक-८७६७, दिनांक ८ जूलाई १९७५ के द्वाय प्रकाशित एवं समाप्त-समय पृष्ठ पथासंशोधित बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-समिति), १९५३ में नियुक्ति विभाग द्वायिति द्वायिति समाविष्ट करते हैं :—

संशोधन

विनियम ७(अ) एवं ७(ब) के नीचे ७(स) निम्न रूप में समाविष्ट किया जाता है :—

"७(स) राज्य सेवायां। संवर्गों के विभिन्न वेतनमान में निम्न नियुक्तियों। प्रोफ्रेशनियों को छोड़कर इन्हें मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करना प्रावश्यक नहीं होगा :—

(i) राज्य सेवायां। संवर्गों की मूल कोटि (बोरिक रेड) के पदों पर नियुक्ति। प्रोफ्रेशनि।

(ii) राज्य सेवायां। संवर्गों के सुपरटाइम स्केल (विभिन्न सेवायां। संवर्गों में इसके जो भी नामकरण किये गये हैं), जिस-जिस में अनुमान्य हो, के प्रथम स्तर के पदों पर नियुक्ति। प्रोफ्रेशनि। स्पष्टीकरण—सुपरटाइम स्केल वह वेतनमान है जो त्रिसूप्रथम कोटि तक वेतनमान के ठीक ऊपर का वेतनमान सम्बन्धित राज्य सेवायां। संवर्गों में उपलब्ध हो।

(iii) किसी भी सेवा। संवर्ग में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति। प्रोफ्रेशनि ;

परन्तु यह कि पह यस्ति भारतीय सेवायां एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए लागू नहीं होगा।

(iv) सचिवालय विभागों एवं संलग्न। सम्बद्ध कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निवांक तथा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्ति। प्रोफ्रेशनि।

(v) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग में सञ्चित के पदों पर नियुक्ति। प्रोफ्रेशनि।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश है;
एम० एल० भूमदार, सचिव।

77

APPENDIX A

Department of Personnel and Administrative Reforms

NOTIFICATION

The 24th January 1989

No. 7,PSC 3-101/88-P—1174—4—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957 published vide Appoirtment's Department's (now Department of Personnel and Administrative Reforms) notification no. 8767, dated the 8th July 1967.

AMENDMENTS

In the said regulation after regulation 7(A) and 7(B) regulation 7(C) shall be inserted, as below :—

“7(C) It shall not be necessary to consult the Public Service Commission in the case of appointment/promotion to posts in different scales of pay of the State Services/Cadres except in the following cases :—

- (i) In the case of appointment/promotion to posts in the basic grade of State services/cadres ;
- (ii) In the case of appointment/promotion to the posts in the first level of supertime scale (by whatever name such a scale is known in the service/cadre concerned) where admissible :

Explanation.—Supertime scale means the scale of pay which is available to the officers of the State Service Cadre concerned immediately above the senior selection grade scale of pay ;

- (iii) In the case of appointment/promotion to the post of a Head of the Department

Provided that it shall not apply in the case of appointment to the post of Head of the Department of Officers of the All India Services and the Bihar Adminnistrative Services ;

- (iv) In the case of appointment/promotion to post of Registrar and other equivalent posts available to the members of the joint cadre of assistant of the Secretariat departments and attached /amalgamated offices ;
- (v) In the case of appointment/promotion to the post of Secretary in the Cadre of personnel assistant of the Secretariat.”

By order of the Governor of Bihar,
M.L.MAZUMDAR, Secy.

A/B

परिविष्ट "ख"

राज्य सेवाओं। प्रवर्गों की सूची

(क) राज्य सेवाएँ

1. बिहार प्रशासनिक सेवा ।
2. बिहार पशुपालन सेवा ।
3. बिहार हृषि सेवा ।
4. बिहार सहकारिता सेवा ।
5. बिहार शिक्षा सेवा ।
6. बिहार अभियंत्रण सेवा ।
7. बिहार वित्त सेवा ।
8. बिहार वन सेवा ।
9. बिहार स्वास्थ्य सेवा ।
10. बिहार कारा सेवा ।
11. बिहार न्यायिक सेवा ।
12. बिहार अम सेवा ।
13. बिहार भारती सेवा ।
14. बिहार निवंधन सेवा ।

(ख) राज्य संबंध

1. बिहार नियोजन संबंध ।
2. बिहार उत्पाद संबंध ।
3. बिहार मत्स्य पालन संबंध ।
4. बिहार भूतत्व संबंध ।
5. बिहार उद्योग संबंध ।
6. बिहार बनन संबंध ।
7. बिहार सांस्कृति संबंध ।
8. बिहार नगर निवेश संबंध ।
9. बिहार प्रक्रियण संबंध ।
10. सचिवालय विभागों एवं संलग्नक। संबद्ध कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संबंध ।
11. सचिवालय के निजी सहायकों का संयुक्त संबंध ।

नोट—भविष्य में गठित होने वाले राज्य सरकार के सेवा। संबंध की इस सूची में समाविष्ट माने जायेंगे।

परिशिष्ट "ग"

समूह (क) — विभिन्नतण संबंधी विभाग

1. मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुद्रा मंत्री सचिवालय सहित।)
2. गृह विभाग।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सूधार विभाग।
4. राजभाषा विभाग।
5. संसदीय कार्य विभाग।
6. वित्त विभाग।
7. खान एवं भूतत्व विभाग।
8. परिवहन एवं नागरिक उद्देश्य विभाग।
9. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग।
10. राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग।
11. उद्योग एवं मध्य-निषेध विभाग।
12. आहार्य एवं पुनर्वास विभाग।
13. विधि विभाग।

समूह (ख) — कार्य विभाग

1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंहाई सहित)।
2. लोक-स्वास्थ्य अभियंतण विभाग।
3. पथ-निर्माण विभाग।
4. भवत-निर्माण एवं आवास विभाग।
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंतण संगठन रहित)।

समूह (ग) — विकासात्मक विभाग

1. योजना एवं विकास विभाग।
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंतण संगठन रहित)।
3. नगर विकास विभाग।
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
5. गौद्योगिक विकास विभाग।

समूह (ग) — विकासात्मक विभाग

6. ईख विभाग।
7. बन तथा पर्यावरण विभाग।
8. कृषि विभाग।
9. संहकारिता विभाग।
10. पशुपालन एवं भरत्य विभाग।
11. ऊर्जा विभाग।
12. पर्यटन विभाग।
13. "20-वर्षीय कार्यक्रम" विभाग।

समूह (घ) — सेवा विभाग

1. मानव संसाधन विकास विभाग।
2. स्वास्थ्य विभाग।
3. चिकित्सा जिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग।
5. अम, परिवेश एवं प्रशिक्षण विभाग।
6. खाद्य, आपूर्ति एवं बांधिज्य विभाग।

विभागों का समूहन तथा विभागीय प्रोजेक्ट समिति का गठन।

समूह "क" — विभिन्नताओं संबंधी विभाग

गठित विभागीय प्रोजेक्ट समिति

1. मनिमंडल सचिवालय एवं उपचिवालय विभाग (निर्गतानी, निवासिन, शिक्षाकाल तथा नृव्यवहारी सचिवालय सहित)	(क) (1) दस्तव, राजस्व परिषद्— अध्यक्ष।
2. गृह विभाग	(2) सचिव, कार्यिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।
3. कार्यिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	(3) सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग।
4. राजभाषा विभाग	(4) सम्बिहित विभाग जिसके प्रशासनाधीन होता। संचरण के पर्योग सम्बन्ध में क्रियारूपोन्नति है इस विभाग के सचिव यथार्थ कि वे असत्र से इस समिति का सदस्यता हों।
5. संसदीय कार्यविभाग	(5) कार्यिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के मिस्त्र के रूप हों।
6. वित्त विभाग	(6) कार्यिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के ग्रन्ति वित्त के रूप हों।

गठित विभागीय प्रोफ्रेसि समिति

- समूह "क"—नियंत्रण संबंधी विभाग
- 7. खान एवं भूतत्व विभाग
- 8. परिवहन एवं नागरिक उद्योग विभाग
- 9. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
- 10. राजस्थ एवं भूमि सुधार विभाग
- 11. उत्पाद एवं मद्य-निषेध विभाग
- 12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग
- 13. विधि विभाग .. .

(क) परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम थीणी II एवं III तथा बिहार आरक्षी उपाधीक के वरीय प्रवर कोटि के आरक्षी उपाधीक के पदों के विभागीय प्रोफ्रेसि समिति मिम्म प्रकार गठित होगी—

(1) मूल्य संचित—ग्रन्थालय।

संवर्स्यगण

(2) संचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग।

(3) मूल्य संचिव द्वारा मनोनीत 7,300—
7,600 द० वेतनमान में भा० प्र० से० के दो पदाधिकारी।

- (4) संचिव, गृष्ठ विभाग (केवल आरक्षी उपाधीक के लिये)।
- (5) आरक्षी भारनिदेशक (केवल आरक्षी उपाधीक के लिये)।
- (6) कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसुचित जाति अनुसुचित जन-जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त संचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हो।

2. समूह "छ"—कार्य विभाग

- 1. जल संसाधन विभाग (लघु सिचाई सहित)

गठित विभागीय प्रोफ्रेसि समिति

(1) संचिव, जल संसाधन विभाग—अध्यक्ष।

सदस्यगण

- 2. लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- 3. पथ निर्माण विभाग .. .
- 4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग
- 5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)।

(2) संचिव पथ, निर्माण विभाग।

(3) संचिव, लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

(4) अभियंता प्रभुत्व, भवन निर्माण एवं आवास विभाग।

(5) संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा संवर्ग के पदों के संबंध में निचार होना है उस विभाग के संचिव वशतः कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हो।

2 समूह "ख"---कार्य विभाग

गठित विभागीय प्रोत्संहिता समिति

- (6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हो।
- (7) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पदित के न हों।

3. समूह "ग"---विकासात्मक विभाग

गठित विभागीय प्रोत्संहिता समिति

- (1) कृषि उत्पाद आयुक्त—अध्यक्ष।

सदस्यगण

- (2) सचिव, सहकारिता विभाग।

3. नगर विकास विभाग .. .

- (3) सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

4. विज्ञान एवं प्रावेदिकी विभाग .. .

- (4) सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।

5. श्रौद्धोगिक विकास विभाग .. .

- (5) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।

4. समूह "ग"---विकासात्मक विभाग

गठित विभागीय प्रोत्संहिता समिति

- (6) संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा। संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों।

7. वन एवं पर्यावरण विभाग .. .

- (7) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पदित के न हों।

8. कृषि विभाग

9. सहकारिता विभाग

10. पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग

11. ऊर्जा विभाग

12. पर्यटन विभाग

13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग

5 समूह "घ"---सेवा विभाग

गठित विभागीय प्रोत्संहिता समिति

- (1) अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो—अध्यक्ष।

सदस्यगण

- (2) सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग।

5 समूह "ध" विकासात्मक विभाग

गठित विभागीय प्रोन्नति समिति

3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग .. (3) सचिव, स्वास्थ्य विभाग।
 4. परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग .. (4) संबंधित प्रशासनी विभाग जिसके प्रशासनाधीन सेवा। संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होता हो, उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सचिव न हों।
 5. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग .. (5) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हो।
 6. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग .. (6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों।

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को सहायकों को संयुक्त संवर्ग के निवधक से नीचे स्तर के पदों पर प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा करने के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी—

- (1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विशेष। अपरा। संयुक्त। उप-सचिव जो संयुक्त संवर्ग के प्रभार में हों— ग्रन्थका।

सदस्यगण

- (2) वित्त विभाग का एक प्रतिविधि जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।
 (3) मानव संसाधन विकास विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों।
 (4) जल संसाधन विकास विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।
 (5) कृषि विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।
 (6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

सचिवालय निजी सहायक संवर्ग के साचब स्तर से नीचे के पदों पर प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा करने के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी—

- (क) आप्त सचिव के पदों के लिये—

- (1) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग— ग्रन्थका।

सदस्यगण

- (2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी विशेष। अपर। संयुक्त। उप-सचिव।
 (3) वित्त विभाग का एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो।
 (4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जाति का एक पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो।

- (ख) वरीय निजी सहायक के पदों के लिये—

- (1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी विशेष। अपर। संयुक्त। उप-सचिव— ग्रन्थका।